भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 348

मंगलवार, 17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0

***348. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः**

श्री संजय दिना पाटीलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डीप-टेक, प्रौद्योगिकी-संचालित विनिर्माण और विकास के प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी जुटाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की घोषणा की गई है और इसके कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय स्टार्टअप और वित्तीय केंद्र के रूप में मुंबई की भूमिका की परिकल्पना की गई है;

(ख) मुंबई और महाराष्ट्र के उन स्टार्टअपों का क्षेत्र-वार ब्यौरा और संख्या कितनी है जिन्हें इस निधि के अंतर्गत सहायता प्राप्त हुई है अथवा जिनका सहायता प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है;

(ग) क्या सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में स्टार्टअपों के लिए उद्यम पूंजी तक पहुंच का विस्तार करने हेतु मुंबई की वित्तीय पारिस्थितिकी, इन्क्यूबेटरों और त्वरकों का लाभ उठाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) सरकार द्वारा गैर-महानगर जिलों में स्टार्टअपों को मुंबई से परामर्श, सहायता और निवेशकों तक पहुंच प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र में समावेशी, क्षेत्रीय रूप से संतुलित स्टार्टअप वित्तपोषण के लिए एक गेटवे के रूप में मुंबई की भूमिका को सुदृढ़ करने हेतु भावी रूपरेखा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 17.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 348 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कुल 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ 'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0' (स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0) की संस्थापना को अनुमोदित किया है। इस स्कीम को भारत की स्टार्टअप यात्रा के अगले चरण को गति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके तहत पूरे देश में दीर्घकालिक घरेलू पूंजी जुटाई जाएगी, वेंचर कैपिटल ईकोसिस्टम को मज़बूत किया जाएगा और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।

यह नया कोष एक लक्षित और अलग-अलग निधीयन करने के दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें डीप-टेक, प्रौद्योगिकी-संचालित अभिनव विनिर्माण और प्रारंभिक विकास के चरण वाले अभिनव आइडियाज पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिससे यह कोष महाराष्ट्र सहित पूरे भारत के उभरते सेक्टर्स में वेंचर कैपिटल निवेश को प्रेरित करेगा। मुंबई जैसे शहर, जहाँ पहले से ही संस्थापित वित्तीय और वेंचर कैपिटल ईकोसिस्टम मौजूद हैं, जो वेंचर कैपिटल जुटाने और व्यापक स्टार्टअप निवेश ईकोसिस्टम को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह स्कीम 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के तहत लागू की गई 'स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स' स्कीम (एफएफएस 1.0) के अनुभव और प्रदर्शन पर आधारित है। एफएफएस 1.0 के तहत, सरकार 'भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक' (सिडबी) के माध्यम से सेबी-पंजीकृत 'वैकल्पिक निवेश फंडस' (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करती है, जो आगे सभी सेक्टर और चरणों के स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं।

31 जनवरी 2026 तक, इस स्कीम के तहत महाराष्ट्र राज्य के 80 एआईएफ को कुल 6,801.95 करोड़ रुपये की राशि देने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इसमें मुंबई शहर के 78 एआईएफ शामिल हैं, जिनको इस स्कीम के तहत 6,756.95 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई गई है।

(ख): महाराष्ट्र राज्य में, एफएफएस 1.0 के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ ने 31 जनवरी 2026 तक 276 स्टार्टअप्स में कुल 6,025.25 करोड़ रुपये का निवेश किया है। विशेष रूप से मुंबई शहर में, इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ द्वारा 231 स्टार्टअप्स में 4,697.3 करोड़ रुपये का निवेश किया

गया है। मुंबई शहर में एफएफएस के तहत एआईएफ द्वारा सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स का क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

एफएफएस के अलावा, मुंबई के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने 'स्टार्टअप इंडिया' पहल अर्थात् स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) के तहत अन्य प्रमुख फंडिंग स्कीमों के माध्यम से भी फंडिंग और इन्क्यूबेशन सहायता प्राप्त की है।

एसआईएसएफएस के तहत, सहायता प्राप्त इनक्यूबेटर्स ने मुंबई और मुंबई उपनगरीय ज़िलों के 152 स्टार्टअप्स को 27.56 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया हैं। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) के तहत, मुंबई और मुंबई उपनगरीय ज़िलों में, स्टार्टअप उधारकर्ताओं को 42.9 करोड़ रुपये के 11 ऋणों की गारंटी दी गई है।

(ग) से (ङ): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, देश में एक वाइब्रेंट स्टार्टअप ईकोसिस्टम का सृजित करने के लिए परिकल्पित स्कीमों और प्रोत्साहनों के साथ सरकार ने एक कार्य-योजना की शुरूआत की है। इस कार्य-योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "फंडिंग सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग जगत तथा अकादमिक क्षेत्र की साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों को शामिल करने वाली 19 कार्य मदें शामिल हैं।

सरकार, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह सहित आवधिक कार्यों और कार्यक्रमों को भी लागू करती है, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम-आधारित पहलों को भी प्रोत्साहन देती है और उनकी सहायता करती है, जो हितधारकों को नेटवर्क बनाने और सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से एक उर्जावान मंच के रूप में कार्य करती हैं। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक अधिप्राप्ति को सक्षम बनाने की पहलें भी स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय में वृद्धि करने और स्केलिंग-अप करने में सहायता प्रदान करती हैं। विनियामक सुधार और ईकोसिस्टम के विकास से जुड़े अन्य कार्यक्रमों और आयोजनों द्वारा इन उपायों को पूरा किया जाता हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के गैर-महानगरीय ज़िलों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के किए गए विशेष उपाय **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

इसके अलावा, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में, सरकार द्वारा 36,782 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है और ये राज्य के हर ज़िले से कम-से-कम एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के तौर पर उभरे हैं। विशेष रूप से मुंबई और मुंबई उपनगरीय ज़िलों में, 31 जनवरी 2026 तक 11,789 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी जा चुकी है।

31 जनवरी 2026 तक, एफएफएस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ ने महाराष्ट्र राज्य के 276 स्टार्टअप में 6,025.25 करोड़ रुपये का निवेश किया है; इनमें भिवंडी जैसे गैर-महानगरीय शहरों के स्टार्टअप भी शामिल हैं।

31 जनवरी 2026 तक, एसआईएसएफएस के तहत सहायता प्राप्त इनक्यूबेटरों ने महाराष्ट्र राज्य के 559 स्टार्टअप के लिए 105.06 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं; इनमें अमरावती, बुलढाणा, हिंगोली, कोल्हापुर, सांगली और सोलापुर जैसे गैर-महानगरीय ज़िलों के स्टार्टअप भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सीजीएसएस के तहत, 31 जनवरी 2026 तक, महाराष्ट्र राज्य के स्टार्टअप को 187.6 करोड़ रुपये के 78 ऋणों की गारंटी दी गई है; इनमें अहिल्यानगर, अकोला, पालघर और यवतमाल जैसे गैर-महानगरीय ज़िलों के स्टार्टअप भी शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सहायता

महाराष्ट्र सरकार ने 'महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025' की शुरूआत की है, जो राज्य में स्टार्टअप्स के लिए वित्त-पोषण तक पहुँच, अवसंरचना और ईकोसिस्टम सहायता के विस्तार के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इस नीति में पूरे महाराष्ट्र में स्टार्टअप परिदृश्य को मज़बूत करने के लिए वित्तीय सहायता और ईकोसिस्टम विकास के प्रावधान शामिल हैं।

राज्य ने, सिडबी के साथ साझेदारी में 'महाराष्ट्र फंड ऑफ़ फंड्स' जैसे निधीयन तंत्र भी स्थापित किए हैं, जो पेशेवर रूप से प्रबंधित वेंचर फंड्स को सहायता देते हैं; ये फंड राज्य भर के स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त, 'महाराष्ट्र नवाचार और प्रौद्योगिकीय विकास फंड' (एमआईटीडीएफ) प्रारंभिक चरण और विकास हेतु पूंजी के लिए एक समर्पित वेंचर निधीयन तंत्र प्रदान करता है।

पूरक ईकोसिस्टम पहलों में आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में माइक्रो-इनक्यूबेटर्स की स्थापना; क्षेत्रीय नवाचार और उद्यमिता केंद्रों का विकास; ज़िला नवाचार समितियों और कोष को मज़बूत बनाना; तथा 'स्टार्टअप यात्रा',

इनोवेशन चैलेंज और हैकाथॉन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इनके साथ ही, एक राज्यव्यापी मेंटर नेटवर्क और डिजिटल ज्ञान संबंधी मंच भी उपलब्ध है, जो स्टार्टअप्स को निवेशकों, विशेषज्ञों और संस्थानों से जोड़ता है।

अनुबंध-I

दिनांक 17.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 348 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 **जनवरी**, 2026 **तक एफएफएस के तहत एआईएफ द्वारा मुंबई शहर में चुने गए स्टार्टअप का** सेक्टर-**वार विवरण** निम्नानुसार **है**:

क्षेत्र	**एआईएफ द्वारा चुने गए स्टार्टअप की संख्या**	**एआईएफ द्वारा निवेश की गई राशि (करोड़ रुपए में)**
विज्ञापन/मीडिया/मनोरंजन	9	41.23
कृषि/एग्रीटेक	3	51.50
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/रोबोटिक्स	5	243.95
मोटर वाहन	3	55.72
जैव प्रौद्योगिकी	2	15.49
व्यावसायिक उत्पाद और सेवाएँ	13	313.00
स्वच्छ तकनीक/स्वच्छ ऊर्जा	4	88.34
उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं	20	274.51
ई-कामर्स	11	215.44
शिक्षा/एडटेक	15	148.92
वित्तीय सेवाएं/फिनटेक	31	867.14
खाद्य एवं पेय पदार्थ	10	118.60
स्वास्थ्य देखभाल/स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी	31	851.82
आईटी और आईटीईएस	45	488.11
लॉजिस्टिक्स/परिवहन	11	292.46
उत्पादन	14	464.23
अन्य	1	34.50
यात्रा और पर्यटन	3	132.33
कुल	**231**	**4697.3**

अनुबंध-II

दिनांक 17.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 348 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. क्षमता निर्माण और सहायता

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग ('एसआरएफ') कार्यक्रम के तहत गैर-महानगरों सहित सभी क्षेत्रों में पूरे वर्ष क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, ताकि क्षेत्रीय ईकोसिस्टम विकसित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें सहायता प्रदान की जा सके। महानगर और क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों के इन्क्यूबेटरों के लिए विशेष रूप से मॉनीटरिंग, क्षमता विकास और सहायता सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत शुरू की गई प्रमुख स्कीमों और चैलेंजेज तक पहुँच बनाने में स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए, विभिन्न अन्य स्टार्टअप कार्यशालाएं और डेमो आयोजित किए जाते हैं।

2. आउटरीच और जागरूकता

देशभर में स्टार्टअप्स के लिए आउटरीच और जागरूकता कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं, जिसमें गैर महानगरों के क्षेत्र भी शामिल हैं। इन कार्यकलापों में गैर-महानगर के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से वित्तपोषण, इन्क्यूबेशन, मार्गदर्शन और व्यावसायिक संबंधों के अवसर प्रदान करना शामिल हैं। विभिन्न स्टार्टअप शोकेस भी आयोजित किए जाते हैं, जहां स्टार्टअप निवेशकों के समक्ष अपने व्यवसाय प्रस्ताव रखे जाते हैं और क्षमता निर्माण कार्यकलापों में भाग लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है।

3. ईकोसिस्टम विकास संबंधी आयोजन और कार्यक्रम

राष्ट्रीय ईकोसिस्टम विकास संबंधी विभिन्न समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जैसे स्टार्टअप महाकुंभ, जो देश के विभिन्न हिस्सों से ईकोसिस्टम को एक साथ लाकर नवप्रयोग और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है; राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात् 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह आयोजित किया गया, ताकि पूरे भारत के हितधारकों के साथ उद्यमिता का उत्सव मनाया जा सके और नवप्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। 'स्टार्टअप इंडिया यात्रा' पहल भी शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य उद्यमिता प्रतिभा की खोज करने और स्टार्टअप ईकोसिस्टम को विकसित करने में मदद करने के लिए भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुँचना था। यह महाराष्ट्र के 16 ज़िलों में आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से लगभग 5,000 लोगों तक पहुँच बनाई गई और 100 इच्छुक उद्यमियों को इन्क्यूबेशन सहायता प्रदान की गई।

4. अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर और लिंकेज

भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत स्टार्टअप20 एनगेजमेंट ग्रुप को संस्थागत रूप दिया गया था, ताकि सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामंजस्य और पारस्परिक सहयोग को सुगम बनाया जा सके। भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत स्टार्टअप20 एनगेजमेंट ग्रुप की बैठकें और एनगेजमेंट पूरे देश में आयोजित किए गए, जिससे वैश्विक बाज़ार, दृश्यता और भारत के क्षेत्रीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम के संसाधनों तक पहुँच प्रदान की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को अंतर्राष्ट्रीय सरकार से सरकार की भागीदारियों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी, वैश्विक आयोजनों की मेजबानी और विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के माध्यम से और अधिक विकसित किया जा रहा है जो परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करती हैं। 17 फरवरी, 2026 को मुंबई में आयोजित 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026' का शुभारंभ, दोनों देशों के बीच नवाचार, स्टार्टअप, अनुसंधान और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

5. ईकोसिस्टम में भागीदारी को प्रोत्साहित करना

सरकार ने भारत में उद्यमशीलता ईकोसिस्टम के हितधारकों के लिए स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल शुरू किया है, ताकि वे एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत संसाधन, जानकारी और विभिन्न लाभों का पता लगा सकें। यह पोर्टल विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को डिजिटल रूप से एक्सेस करने में सक्षम बनाता है, जिससे गैर-महानगरों और क्षेत्रों के उद्यमियों और स्टार्टअप्स तक पहुंच में सुधार लाया जा सके।

6. सरकार द्वारा **विभिन्न अन्य कार्यक्रम और पहलें** भी की गई हैं जैसे जेनेसिस (नवोन्मेषी स्टार्टअप के लिए जेन-नेक्स्ट सहयोग) स्कीम, टाइड-2.0 (प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन और उद्यमियों का विकास) स्कीम, चिप्स टू स्टार्ट-अप (सी2एस) कार्यक्रम, डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (डीएलआई) स्कीम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार स्कीम (आईडीईएक्स) और आईडेक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी (अदिति), अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) स्कीम, राष्ट्रीय नवाचार विकास और उपयोग पहल (निधि), तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) स्कीमें।
